न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट कोर्ट नं0–4 मुरादाबाद।

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त की ओर से जुर्म इकबाल हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसपर निम्न आदेश पारित किया गया ।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त की जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर उसको आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में उसे साधारण कारावास भोगना होगा।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेंट,
कोर्ट नं0–4, मुरादाबाद।